

No. 11035/12/2013 -NI-III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(HR Division)

Sl No. 164

NDCC-II Tower, 'A'-Wing
4th Floor, New Delhi -110001
Dated the 4th July, 2013

To,

The Secretary
National Foundation for Communal Harmony,
9th Floor, Lok Nayak Bhawan
New Delhi -110003.

Subject: Transfer of the RTI application.

Please refer to the RTI Cell's OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013 forwarding the RTI application dated 06.5.2013 of Smt. Shashi Prabha Agarawal seeking information regarding National Communal Harmony Award 2011, received in this Division on 20.6.2013 (copy enclosed)

2. Since the information requested by the applicant under point 1 to 3 is concern of the National Foundation for Communal Harmony (NFCH), the application is transferred to the NFCH under section 6(i) of the RTI Act, 2005 for necessary action.
3. So far as point 4 is concern a copy of RTI application dated 06.5.2013 is being circulated to all the CPIOs of this Ministry with the request to provide requisite information directly to the applicant on Point 4.

Encl: As above.

(Dr. R.K. Mitra)
Joint Secretary (NI) & CPIO
Tel: 23438111

Copy to:

(By Speed Post)

1. Smt. Shashi Prabha Agrawal, R-10, HiG Sector-23, Sanjoy Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh with request to approach various other Minister/Department about the awards if any instituted by them on Point 4 which are under preview of other CPIOs of the various Ministries / Departments. As per information available with the undersign CPIO, the Govt. Of India instituted a National Award designated as "Kabir Puraskar", to promote communal, caste and ethnic harmony. These awards are announced on 2nd October every year. The details of the same are available in the web link <http://mha.nic.in>.
2. CPIOs of MHA (as per list attached) for taking appropriate action in respect of Point 4 of the RTI application dated 06.5.2013 and providing the requisite information directly to the applicant.
3. Shri S. Samanta, US (RTI) /CPIO, MHA, New Delhi w.r.t. OM No. A-43020/01/2013-RTI dated. 31.5.2013.

सं. नं-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

सूचना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21/05/2013

आवेदन संख्या

RTI-155/SS(W)/13
20/6/13

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुद्धी...शाही प्रभा अग्रवाल के आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/शुद्धी...शाही प्रभा अग्रवाल के दिनांक 21/5/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में ... के अंतर्गत द्वार दिनांक 27/05/2013 को प्राप्त) को रज आरि प्रकार के अचेष्टित करने का निवेदन हुआ है, क्योंकि नांगी गई सूचना एक प्रकार के क्लिकरों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किंतु अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अचेष्टित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- नं. का निर्धारित शुल्क दिनांक 29.05.2013 को रखा है। 24754 के तहत जना का विषय है संलग्न नहीं किया है क्योंकि वह को भी एक श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यद्योपरि

शु. सामंत
(शु. सामंत)
जवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
निदेशक (रज. आरि)
जं. मंत्रालय
रज डी पी सी - गु. भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/शुद्धी शाही प्रभा अग्रवाल
रज-10, रज आरि की
सैक्टर - 23, लखननगर
गाजियाबाद (उ.प्र.)

RTI
20/6/13
20/6/13
20/6/13
श. डी. डी.

उत्तर अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।

2

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
सी. ए. आर. 6 / C. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))
रसीद / RECEIPT

सं. / No. 21754

दिनांक 20
Dated 25/11/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. 2120 प्रभा खड्गवाल


दिनांक 20
Dated 20

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No.

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 1116 40249

के रूप में रुपये की नकद इतराशि
the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शुल्क का भुगतान।
on account of fee under Right to Information Act 2005.


अक्षर / Initials

रुपये / Rs. 1116

पदनाम / Designation

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. 0-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 10/05/2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी

शशि प्रभा
का आवेदन।

उज्ज्वल

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 6/5/2013 के आवेदन का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 07/05/2013 को द्वारा अंतरण से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियंत्रण) नियमावली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त कर नकद अथवा उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के "लेखा अधिकारी" को देय उपयुक्त डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेंक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

2. आपके उपर-उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि ब्यारीबी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है।


ii) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/गैर-न्यायिक पेंसर/अकाउंट पेई चेंक/ डाक टिकट/ के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।

iii) -----/रु. का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क नहीं है।

iv) प्रस्तुत किया गया डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/रु. के आई पी ओ/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक/गैर-न्यायिक पेंसर/कोर्ट फी स्टैम्प/ (सं. 14F 45206F) के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है।

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार



श्रीनिवास प्रधान
उप सचिव (ई) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Returned back
w/o carry letter
Application in return
27/5/13
सेवा में

श्री/श्रीमती/सुश्री शशि प्रभा उज्ज्वल
उप सं-10, सचि-आई.पी.ओ.
सं.क.ए.ए. - 23
गृह मंत्रालय

नियंत्रण उपयुक्त
प्रमाण
गृह मंत्रालय

4

05 MAY 2013
598
3000/P12/2013
105/13

दिनांक 06.05.2013

श्रीमान सचिव
गृह मंत्रालय भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आवश्यक जानकारी।

महोदय,

पिछल वर्ष आपके कार्यालय पत्रांक सं० D.O. No 4/2(1)/2011-NFCH dt-12.5.2011 के द्वारा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2011 देने हेतु नामांकन मांगे गये थे इस संदर्भ में मुझे आपसे निम्नलिखित जानकारियाँ चाहियें:-

1. वर्ष 2011 में उपरोक्त पुरस्कार किस्त महानुभव/संस्थाओ को दिये गये उनका विवरण।
2. क्या वर्ष 2012 में भी राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिये जाने की योजना है यदि हाँ तो इसके नामांकन हेतु कब जानकारी मांगी जायेगी।
3. क्या राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा दिये जाते है।
4. सर्व समाज के लिये निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थाये/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कौन-कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते है विवरण सहित।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी सूचना अधिनियम के अर्न्तगत अविलम्ब देने की कृपा करें निर्धारित शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

संलग्न-10रु० का पोस्टल आर्डर

52F - (8113)
5206j

भवदीय

श्री प्रभा
(शशि प्रभा अग्रवाल)

एफ-10 एच.आई.जी. सै०-23
संजयगनर गाजियाबाद

Fee clause

RTI Matter

No. II/ 20034/20/2013-IS-II(Pt)
Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-I Div (IS-II Desk)

Reply of No. 164

North Block, New Delhi,
Dated 24th July, 2013

To

Smt. Shashi Prabha Agarwal,
F-10 HIG Sector-23,
Sanjay Nagar, Ghaziabad.

Sub: Application of Smt. Shashi Prabha Agarwal, under RTI Act, 2005.

Sir,


Please refer to your application dated 6.5.2013 under RTI Act, 2005, which was received by the undersigned on 10.7.2013. So far as information sought under point-4 of your application, it is informed that the information in respect of IS-II Section of IS-I Division of this Ministry may be treated as 'NIL'.

2. In case you are not satisfied with the above reply, as per Section 19 (i) of Right to Information Act, 2005 you may file an appeal within 30 days from the issue of this letter to the first Appellate Authority whose particulars are given below:-

Shri Rakesh Singh,
Joint Secretary (IS-I),
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi.


Yours faithfully,


(Rakesh Mittal)
Director (IS-I)



Copy to;

Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI/CPIO, M/o Home Affairs,
North Block, New Delhi.


24/7

RTI Issue
24/7/13

o/c